# REPORT PATNA SATYAGARAHA



After the shocking and unexpected announcement of the Divisional Commissioner of Patna Kumar Ravi said that Street Vendors will not be able to do their vending activities for almost 10 hours a day on Bailey Road, Nehru Path, Boring Road, and other places. The news came as a shock as it was affecting the livelihood of Street Vendors.

The order of the Divisional Commissioner is none less than any other order under the British Raj, it reflects the same level of atrocity, exploitation, and superiority against the *mango people*.

NASVI took immediate action on it and wrote letters to many officials regarding this decision and protested that it should be taken back, vendors should be allowed to vend and TVC meetings should be conducted.





### National Association of Street Vendors of India (NASVI) #304, Maurya Tower, Maurya Lok complex, Patna 800001 Tele: 0612-2220772/2220773, E - Mail: nasvinet@hotmail.com

विनांक: 03/04/2024

अनुमंडल पदाधिकारी

विषय: फुटपाथ दुकानदारों को माइकिंग कर सूचना देने के संबंध में



उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है की प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा पटना शहर के फुटपाथ दुकानदारों के लिए समय निर्धारित किए जाने के कारण फुटपाथ बुकानदारों को रीजगार में हो रही समस्या के समाधान हेतू. सभी वुकानदारों को मार्जकेंग कर सूचना देकर एकत्रित करने एवं इसके विरुद्ध आधान उठाने के लिए मार्डकेंग करने के लिए ध्वनि बिस्तारक यंत्र एवं चार पहिए गारी TATA ACE (गारी न.BR01GK0821) को पूरे शहर में अमग कराने अनुमति प्रवान की जाए . यह कार्य विनांक 03/04/2024 से 06/04/2024 तक किया जाएगा .

अतः आपसे सादर अनुरोध है की इस कार्य के लिए हमें घोषणा वाहन का उपयोग करने की अनुमति प्रवान करने की कृपा करें |

Ranshar रीशन भुगार चौधरी 9831813515



#### National Association of Street Vendors of India (NASVI) #304, Maurya Tower, Maurya Lok complex, Patna 800001 Tele: 0612-2220772/2220773, E-Mail: nasvinet@hotmail.com

विनांक: 03/04/2024

सेवा में

विषय: फुटपाथ दुकानदारों को माइकिंग कर सूचना देने के संबंध में



उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है की प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा पटना शहर के फुटपाथ हुकानदारों के लिए समय निर्धास्ति किए जाने के कारण फुटपाथ दुकानदारों को र्योजगार में हो रही समस्या के समाधान होतु सभी दुकानदारों को माइकिंग कर सुचना देकर एकत्रित करने एवं इसके बिरुद्ध आवाज उठाने के लिए भाइकिंग करने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं चार पहिए गारी TATA ACE (गारी न.BR01GK0821) को पूरे शहर में अमण कराने अनुमति प्रदान की जाए . यह कार्य विनांक 03/04/2024 से 06/04/2024 तक किया जाएगा .

अतः आपसे सादर अनुरोध है की इस कार्य के लिए हमें घोषणा वाहन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें |

Rauchan रीशन छुमार चौधरी नगर प्रबंधक

9831813515



Coordinator NASVI < coor

3-04-2023

Regarding unlawful evictions of Street Vendors from Bailey Road, Boring Road and other markets by District Administration.

Wed, Apr 3, 2024 at 4:56 PM

Shri Rajeev Kumar Mishra Jee (IPS)

Senior Superintendent of Police - Patna

 $Subject-Regarding \ unlawful\ evictions\ of\ Street\ Vendors\ from\ Bailey\ Road,\ Boring\ Road\ and\ other\ markets\ by\ District\ Administration.$ 

We are shocked to see that the District official of Patna especially Divisional Commissioner along with other officers has blahardly issued on order to eviet and restrict the street vending on Bulley Road, Nehru Path, Boring Road and other places (artached new clipping). As per the news clipping it says that street vendors will not be able to 6 their vending activities for aimost 10 hours a Day, which will result in a large lass of Leadylonard.

Needless to say that the Town vending committee meeting that happened on 3<sup>rd</sup> August had decided that there would be full protection of Street Vendors in Patra .

The recent order by Divisional commissioner is completely unlawful and as per the law Town Ver-contrititee under Patna Municipal corporation is responsible for any decision for Street Vendors.

Since the Police department is also part of the Town Vending Committee and its responsibility of Petras Police to protect the rights of street vendors as per the Street Vendors ACT 2014. We need your urgent intervention is protection of street vendors from evicient and loss of livelibood. Otherwise we are going to organize a penceful protect at the Divisional Commissioner office on 6th April 2024.

Regards 🌲

Arbind Singh- National Coordinator (NASVI)

9910306625



### National Association of Street Vendors of India (NASVI)

#304, Maurya Tower, Maurya Lok complex, Patna 800001 Tele: 0612-2220772/2220773, E - Mail: nasvinet@hotmail.com

Ratis - 30.3.2024

सेवा में कुमार रवि (भा.प्र. से) प्रमेडलीय आयुक्त पटना प्रमेडल

विषय :- वैनिक हिंतुस्तान के 30/03/2024 के संस्करण में अतिक्रमण अभियान को लेकर प्रकाशित समाचार के

भारतम अपने में सहना में सहना है की निहार सरकार द्वारा विदार में पत्र विक्रेता (औविका संस्ता) और एन फैक्क विदेशमान अधिने पत्र 2014 के प्राप्त है की निहंत सरकार द्वारा विदार में पत्र विक्रात (औविका संस्ता) और एन प्रतिक्रियमान अधिन स्वाप्त के प्रतिक्र कर स्विका कर स्वाप्त के प्रतिक्र कर स्वाप्त के प्रतिक्र कर रही है कि स्वाप्त के प्रतिक्र कर रही कि स्वाप्त के प्रतिक्र कर रही है कि प्रतिक्र कर रही है कि साथ के प्रतिक्र कर रही है कि साथ के प्रतिक्र कर रही कि स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के प्रतिक्र कर रही है कि स्वाप्त के स्वाप्त के प्रतिक्र कर रही के स्वाप्त के स्वाप्त के प्रतिक्र कर स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्

होगा.

महाराय अतिक्रमण और अवैध की परिभाषा निक्षित की जाए बसीकि पदि थे अपैध और अतिक्रमणकारी है सो

महाराय अतिक्रमण और अवैध की परिभाष निक्षित की विधा और भारत सरकार ने इन्हें चैंक से लोग क्यों दिल्लाया गर एक यह महाराय की प्रमु साथ आपके प्राप्त पियाँचि किया गया है यह कही थी अवकाशिक ती है, प्रमुख अपके अलगा अध्यान जातें भी बैंदर में क्यादिक को महिल की प्रमु के महिल की महिल की की हम उसार की कामधीर भी हों है जिसके पढ़ेन अध्यक्ष जात निमा के गरा आमुक है और स्वीध कीटी को पूर्ण अधिकार है भी कीट के स्वार किए कोई सिनों को और आपने को जिसमें होता है उसमें हो आपने टाउम मीटिंग क्योंस्टी को शामिल ही नहीं दिखा है

षधं चिक्रतः (जीविका संस्क्षण और पथं विक्रम विनियमन) अधिनियम 2014 की धारा 33 के अनुसार पथं विक्रता के ऊपर पध विक्रता (जीविका संस्क्षण और पथं विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के अस्तित्व में रहते हुए इनके ऊपर पुलरा कोई भी कानुन लागु ही नहीं होता है .

प्रतिकिथि : मुख्यमंत्री विदार, मति नगर विकास एकं आवास विभाग बिहार, प्रधान समिव नगर विकास एवं आवास विभाग विहार सरवार, जिलापिकारी घटना, हरिव्र पुलिस अभीक्षक पटना, नगर आमुक्त पटना नगर निगन पटना, अनुनंधल पराधिकारी पटना -24ट्ट ८

Administrative Office: 1<sup>a</sup> Floor, Sagar Complex, New Rajdhani Enclave, Vikas Marg Deihi-110092. Tel: 011 47553013, 43073013, Emaile office@nasylnet.org, Website: www.navinet.org

### National Association of Street Vendors of India (NASVI)

#304, Maurya Tower, Maurya Lok complex, Patna 800001 Tele: 0612-2220772/2220773, E - Mail: nasvinct@hotmall.c

सवा म भुमार रवि (भा प्र. से) प्रमंडलीय आयुक्त पटना प्रमंडल



विषय :- दैनिक हिंदुस्तान के 30/03/2024 के संस्करण में अतिक्रमण अभियान को लेकर प्रकाशित समाचार के

अरक्षिक विश्व के संबंध में कहना है की बिहार सरकार द्वारा विहार में पर विहेता (बीविकर संस्था और एवं निक्रम विहेता (बीविकर संस्था और एवं निक्रम विहेता (बीविकर संस्था अंधिर पर निक्रम विहेता (बीविकर को प्रेस के स्वीत के स्वीत के स्थाप 2014 के स्थाप 3014 के स्वीत के स्थाप 2014 के स्थाप 3014 के स्वीत के स्थाप 3014 के स्थाप 3014

होगा. प्रधानय अतिकारण और अवैध्य की परिभाषा निश्चित की जाए क्सोंकि पदि से अवैध्य और अनिक्रमणकारी है जो नगर प्रधानय अतिकारण और है को नगर निश्चम ने इन्हें बेंदिक देश को उन्हें कि को होने वसी दिल्लायण कर एक वस स्वास है. क्यांकर के प्रधान कर के अपने के उन्हें कि कर होगे ने वसी दिल्लायण कर एक वस स्वास है. क्यांकर के उन्हें कि को कि उन्हें कि की उन्हें कि उन उन्हें कि उ लिए कोई निर्णय ले और आपने जो निर्णय लिया है उसमें तो आपने टाउन वेंडिंग कमिटी को शामिल ही नहीं किया है .

पथ विकेता (जीविका संस्कृण और पथ विक्रय किनियान) अधिनियम 2014 की धार 33 के अनुसार पथ विकेता के असर पथ विकेता (जीविका संसक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के अस्तित्व में रहते हुए इनके अपर दूसरा औई भी कानुन लागु ही नहीं होता हैं .

प्रवितिष्ठ : मुख्यन्त्री शिक्षा, पत्रि कपर विकास एवं आवास विभाग बिहार ,हथान सचिव कपर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार, जिल्लाचिकारी पटमा, स्रीय पुलिस अधीक्षक पटमा, कपर अधुक्त पटमा कपर विमाम पटमा, अनुसंदल पराधिकारी पटमा-व्यवट

नक्षा क्रिकेट व्यक्ति आदिन्द सिंह राष्ट्रीय समन्त्रसक NASVI

Administrative Office: 1<sup>st</sup> Floor, Sagar Complex, New Rajdhani Enclave, Vikas Marg Delhi-110092. Tel: 011 47553013, 43073013, Email: office@nassinet.org, Website: www.nassvinet.org



### National Association of Street Vendors of India (NASVI)

#304, Maurya Tower, Maurya Lok complex, Patna 800001 Tele: 0612-2220772/2220773, E - Mail: nasvinet@hotmail.com

श्री कुमार रवि (भा.प्र.से.) प्रगंडलीय आयुक्त

विषय: - अंतिक्रमण अभियान के वीरान फुटपाथ दुकानवारों को रोजगार से बेदखल करने के संबंध में

बेली रोड/मेहरू एथ, बोरिंग रोड और अन्य स्थानों पर फूटपाय दुकानदारी को जबरन हटाने का आदेश जारी करके पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का स्पष्ट उद्धंयन किया गमा है जिससे फुटपाथ हुकानदार के आजीविका पर बहुत च्या असर परा इसलिए आज हम सभी फुटपाथ युकानदार आपसे निम्नलिखित मांग करते हैं -

- पटना में फूटपांथ विक्रेता को हटाने और समय सारिणी के निर्णय को वापस लिया जाए।
- पटना नगर आयुक्त को आदेश दे की दुरंत टाउन वेंडिंग समिति की बैठक बुलाकर फूटपाध दुकानदार से संबंधित मामली पर चर्चा कर निर्णय लिया जाए।
- पटना शहर में जितने भी बाजार हैं उसकी अपनी विशेषता हैं तथा अलग अलग प्रकृति की हैं, फुटपाथ कुलावार का ओ विक्रस्य की गतिविधि हैं वह अलग अलग है इन सभी के लिए एक समय सारिधी
  हैं भागित नहीं किया जा सकता हैं, इसके लिए अंचल स्तर एर फुटपाय दुकानवार के साथ बैठक कर समय भूमिणी पर ज्याँ कर उसको नगर विक्रम समिति के बैठक में पारित किया जाए। श्रीतानगण के गाग पर कालन नहीं से कर उनको ज्यासिक्त कर वेडिंग शुल्क शिक्षा जाए। विक्र गाजिट में सीमांकन कर पुटमाण युकानदारी को ज्यासिक्त किया जाए।

्रेन स्थान बुन्द्रियों को मेरकसूनी आदेश से हुए आशीषिका के मुक्तान का मुख्यान का मुख्यान का मुख्यान का मुख्यान के प्रदेश करें। अपने अपने अपने अपने अपने के स्थानिक स्यानिक स्थानिक स्थ हितकारी हैं उसे लागु करने हेतु आदेश दिया जाए।

Auburol Supl संस्थीय सम्भावतिक नासची (9910306625)



### National Association of Street Vendors of India (NASVI)

#304, Maurya Tower, Maurya Lok complex, Patna 800001 Tele: 0612-2220772/2220773, E - Mail: nasvinet@hotmail.com

जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोहय

12013/23

विषय: स्ट्रीट वेंडर का एक दिवसीय बैठक के लिए अनुमति के संबंध में

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है की नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) भारत के 28 राज्यों में 1042 स्ट्रीट वेंडर संगठनों ट्रेड यूनियनों और समुवाय आधारित समूरों और 1048432 फुटगाथ

20 राषण न 1042 स्ट्रीट कर स्थारना ट्रड सूथना आर समुवार आधारत समूचा और 1048432 पुटनाथ हुकानवार सदस्यों में एक नेटवर्क और क्यारता मंत्र है।तासवी ने यो दशकों से अधिक समय से फुटपाथ दुकानवारों के अधिकारों के लिए काम किया है। नासवी वर्ष 2014 में पारित स्ट्रीट वेंग्रस्त (आवीविका का संस्कृत और स्ट्रीट वेंग्रिंग का नियमा ) अधिनियम के गठन में महत्वपूर्ण मूणिका निमाई है। नासवी के द्वारा विनांक 1904 2024 को पटना के पुटनाथ दुकानवारों के साथ एक आम सभा आयोजन किया वा रहा है किससे लगभग 500 से 600 पुटनाथ दुकानवारों के अध्वक्त मक्ता के स्वार्थक मा अध्यक्त कर कुरानवारों के अधिकार और कर्ताव्य का बोध कराया जाना एवं को अधिकामण के नाम पर पुटपाथ दुकानवार को प्रतारित किया वा रहा है, इस लिए श्रीमान से अनुरोध है की इस कार्यक्रम को करने की अनुमति प्रवान की जाए I

दिनांक: 19/04/2024 स्थान: विद्यापति भवन, विद्यापति मार्ग, पटना

समय: 10 am - 4 pm अतः: श्रीमान से अनुरोध है की फुटपाथ दुकानदारों के इस कार्यक्रम को अनुगति प्रदान किया जाए जिसके लिए नासवी और सभी फुटपाथ दुकानदार आपका आभारी रहेगा ।

Rousker रीशन कुमार चौधरी नगर प्रबंधक 9831813515

ninistrative Office: 1" Floor, Sagar Complex, New Rajdhani Enclave, Vikas Marg Delhi-11 Tel: 011 47553013, 43073013, Email: office@nasvinet.org, Website: www.nasvinet.org



### National Association of Street Vendors of India (NASVI)

#304, Maurya Tower, Maurya Lok complex, Patna 800001 Tele: 0612-2220772/2220773, E - Mail: nasvinet@hotmail.com

विनांक :- 08.04.2024

सेवा में


विषय :- फुटपाथ बुकानवारों को शांतिपूर्ण यन्त्री कार्यक्रम की सूचना हेतु चार पहिए बाहन पर ध्विन विस्तारक यंत्र प्रयोग की अनुमति प्रवान करने के संबंध में।

अपरेक विषय के संबंध में कहना है की प्रमंदलीय आसुक के द्वारा पटना शहर के पूरपाध यूकानवारों के लिए निर्धारित सानय सार्रणी से उपन्तन समस्याओं के समाधार हेतु आयोजित शांतिपूर्ण बन्दी कार्यक्रम की सूचना हेतु बार प्रहिए गाईी TATA ACE (गाईी ने BR01GK0821) पर व्यक्ति विस्तापक यंत्र प्रयोग करते हेतु अनुमति प्रवान की आए एवं कार्यक्रम पटना नगर निगम के सम्पूर्ण होत्र में किया जाना है।

मादर

Ranshen रीशन कुमार चौधरी

Administrative Office: 1<sup>th</sup> Floor, Sagar Complex, New Rajdhani Enclave, Vikas Marg Delhi-110092.
Tel: 011 47553013, 43073013. Fmail: office@partings.



According to Section 3(1) under The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014, 23,820 Street Vendors were Surveyed and under Section 4 (1) they were issued Certificate of Vending in which vending area, vending type, and such information are provided. In addition to that 16,676 Street Vendors benefit from the PM SVANidhi Scheme, which sanctions amounts of 10,000 to 50,000 to Street Vendors. All these provisions mean that street vendors are acknowledged and protected and even then, an order of such audacity was declared by officials. The question arises that if the vendors are illegal encroachers according to the Divisional Commissioner, then why the Street vendors were surveyed and given certificates, and secondly how they are going to pay back the loan if they are allowed to vend for 4 hours a day?

NASVI at the initial level of Advocacy, wrote a letter to the Municipal Corporation, the Governor, Patna Police, and other authorities when this didn't seem to do any damp to the government NASVI took the high road and announced the *PATNA SATYAGRAHA* from 23 to 25 April.

After many decades of our Freedom Struggle, the Gandhian method of Satyagraha still holds the Charm and power to shakedown the power. On 23<sup>rd</sup> April Street Vendors of Patna closed down the market. The markets were Rajendra Nagar, Rajapurpol Sabzi Mandi, Rajabazar, Boring Road, Ashiyan Mod, Sachivalya Road, Children Park, Kankarbagh, Patna City, Gayaghat, Ashok Rajpah and many others were closed.

The solidarity of Street Vendors of Patna came as an answer to the system that if exploitation is done against them, they will not hesitate to take action.

The consequence of the 3-day Satyagraha was, that Mandi was closed due to which the commodities were not sold and almost 4 crore was lost. Naturally, the prices of fruits &

vegetables also went up which was the optimum sign of why Street Vendors are an integral part of our economy.

















# तीन दिनी हड़ताल पर गए सब्जी विक्रेत

जागरण संवादवावा, पट्टा : अतिक्रमण हटाओ अभियान में फुटपाथी को हटाने के अभियान के विरुद्ध फुटपाथ डुक्कन्दार मंगरावार से तीन दिवसीय हड्ताल पर चले गए। मंगरावादार को फुटपाथ डुकार्ने नहीं लगी। अधिकांश सब्जीमंडी भी बंद रही। हालांकि

पटना जंक्शन, के आसपास का सहकें न्याली रही। इस बार हड़ताल में सब्जी और फल किक़ता भी शामिल हैं। राजेंद्र नगर, आंटाघाट, राजांपुरपुल सब्जी मंडी में कारोबार प्रभावित हुआ। इन किक़ताज की मांग है कि प्रशासन पुटपाय इकानदारों की पहले वैकल्पिक व्यवस्था करे, उसके बाद अतिक्रमण



पर रहने के कारण

### विरोध. २७ हजार स्ट्रीट वेंडरों ने बंद रखा कारोबार, लोगों को हुई परेशानी

### लोगों को सब्जी-फल के लिए जाना पडा मंडी

कर दिना प्राप्त के प्रियाण अपने कार्य पुरस्का पात्र पात्र कर पर पुरस्का भी तथा से तथा में तथा

विदेश के कारण चार पार के प्रति के प्रत

### कृटपाथी दुकानदार हड़ताल पर, बंद रहीं दुकानें



www.livehindustan

अपना पटना

### आज

# पटना सिटी-दानापुर-

## फुटपाथी दुकानदारों की बंदी, करेंगे संघर्ष



### अतिक्रमण हटाओ अभियान में वसूले साढ़े आठ हजार

